कोटा में हिस्ट्रीशीटर बदमाश के अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चला

■ कोटा शहर, ग्रामीण, बारां, झालावाड़, बूंदी सहित चित्तौड़गढ़ और महाराष्ट्र के मुंबई में भी मुकदमें दर्ज हैं

कोटा, (निसं)। शहर के उद्योग नगर थाना इलाके के हिस्ट्रीशीटर हजरत अली उर्फ गुड्डू के खिलाफ एक्शन लेते हुए कोटा सिटी पुलिस ने उसके अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए गुरुवार को ध्वस्त करवाया है। गुरुवार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ये कार्रवाई हुई। पूरे मामले की मॉनीटरिंग कोटा सिटी एसपी डॉ. अमृता दुहन कर रहीं हैं। डॉ. दुहन का कहना है कि हजरत अली उर्फ गुड्डू के दो अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। यह 1717 गैंग का सक्रिय सदस्य है इसके खिलाफ दर्जनों मामले अब तक संगीन धाराओं में दर्ज हुए हैं।

उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र शेखावत ने बताया कि आरोपी गुड्डू को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है जो जमानत के बाद से ही अपनी गैंग बनाकर कोटा शहर व पूरे हाड़ौती संभाग में सक्रिय है। इसके खिलाफ हत्या का एक और हत्या के प्रयास के 9 मामले दर्ज हैं। दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास के दो मामले दर्ज हैं। इसके अलावा लूट के 4, चौथ वसूली के तीन, नकबजनी के 9, मारपीट के तीन, अवैध हथियार के 6, पुलिस पर फायरिंग व हमला करने के 2, डकैती की तैयारी का 1, सरकारी जमीन पर कब्जा करने का एक व अवैध शराब तस्करी के दो मुकदमे शामिल हैं। यह मुकदमे कोटा शहर, ग्रामीण, बारां, झालावाड़, बूंदी सहित चित्तौड़गढ़ और महाराष्ट्र के मुंबई में भी दर्ज हैं। इसको लेकर पुलिस और कोटा विकास प्राधिकरण की टीम के साथ गुरुवार सुबह गोविंद नगर अंडरपास के नजदीक पहुंची। यहां पर हजरत उर्फ गुड्डू ने अवैध रूप से दो जगह अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किए हुए थे। इन दोनों अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलवाया गया है। एक जगह पर किराए पर देकर गुड्डू ने नॉनवेज शॉप चलवाई हुई थी। दूसरी जगह पर गोदाम व कारखाना बनाया हुआ था। पुलिस ने कार्मिकों के साथ मारपीट कर दी थी। पुलिस उपाधीक्षक योगेश शर्मा ने बताया कि हजरत उर्फ गुड्डू का इतना भय व्याप्त है कि आमजन उसके खिलाफ कोई शिकायत या गवाही देने से डरते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। आरोपी के खिलाफ 48 जबकि उसके भाई के खिलाफ 55 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी 8 महीने से फरार चल रहा है। आरोपी हजरत उर्फ गुड्डू के घर पर साल 2022 में गैंगवार के तहत फायरिंग की गई थी। उसका 13 साल का बेटा इस फायरिंग में बाल बाल बचा था। आरोपी के गोविंद नगर निवास पर उसी के गैंग में पहले काम करने वाले कुछ बदमाशों ने फायरिंग की थी। यह पूरी वारदात भी गुड्डू के घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। इस घटना को पुलिस ने वर्चस्व की लड़ाई माना था और मामले में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस का कहना है कि बीते करीब 8 महीने से वह फरार है, लेकिन अभी भी वह लोगों को डरा धमका रहा है। 2021 में राजपाशा कानून के तहत हजरत गुड्डू को गिरफ्तार भी किया था।

के.डी.ए. के डिप्टी कमिश्नर हर्षित वर्मा का कहना है कि हमारे ध्यान में यह अतिक्रमण कुछ समय पहले आया था। इस संबंध में नियम अनुसार नोटिस दिए गए और उसके बाद अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई है। इसमें हमारा अतिक्रमण निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और संसाधन भी हमारे ही हैं। थाना अधिकारी जितेंद्र शेखावत ने बताया कि हजरत उर्फ गुड्डू ने 14 साल की उम्र में ही पहली वारदात को अंजाम दिया था। उस पर दर्ज डेढ़ दर्जन से ज्यादा मुकदमों में वह गवाहों को डरा धमकाकर बरी भी हो गया है। साल 2021 में कोटा सिटी पुलिस ने राजपाशा के तहत उस पर कार्रवाई की गई थी।

इसके बाद वह पूरे 1 साल जेल में रहा और बाहर आते ही दोबारा अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। आरोपी हजरत गुड्डू पहले जेल में भी

कलेक्टर ने जनसुनवाई की

कोटा, (निसं)। ग्राम पंचायत डूगरंज्या, पंचायत समिति सुल्तानपुर में गुरुवार को जिला कलक्टर डॉ.रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुना गया और संबंधित विभागों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गऐं। जनसुनवाई के दौरान कलक्टर डॉ.गोस्वामी ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए क्षेत्र की समस्याओं और स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन ग्रामीणों की समस्याओं का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण करेगा। खंड विकास अधिकारी मुकेश स्वर्णकार ने जानकारी दी कि जनसुनवाई में कुल 12 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से तीन प्रधानमंत्री आवास, एक नरेगा भुगतान, एक शौचालय निर्माण, एक पीएफ और अन्य प्रकरण शामिल थे। ग्रामीणों ने सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मांग की, जिसके लिए कलक्टर डॉ.गोस्वामी ने तहसीलदार को आवश्यक कार्यवाही करने के दिशा-निर्देश दिऐं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कंवरपुरा-डूगरंज्या सड़क की मरम्मत और सीसी रोड़ निर्माण की मांग भी उठाई। कलक्टर ने निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर योजनाओं की जानकारी देकर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलवाये। सरपंच डूंगरज्या मुरली बाई, एसडीएम नयन कुमार गौतम (प्रशिक्षु आईएएस), जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक त्यागी, एसीईओ मज़हर इमाम, खंड विकास अधिकारी मुकेश स्वर्णकार, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण उपस्थित रहे।

कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया

झालावाड़ (निसं)। संभागीय आयुक्त कोटा उर्मिला राजोरिया ने गुरूवार को मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने जिला कलक्टर को राजस्व विभाग के अन्तर्गत लम्बित चल रहे राजस्व प्रकरणों यथा इजराय, भूमि रूपान्तरण, विभाजन, नामान्तरण आदि को शीघ्र निस्तारित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में भी लम्बे समय से चले आ रहे प्रकरणों को भी शीघ्र उचित कार्यवाही करते हुए निस्तारित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए सभी उपखण्ड कार्यालयों व तहसीलों में शिविर लगाए जाएं। संभागीय आयुक्त ने गुरूवार को जिला रसद कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला रसद अधिकारी जितेन्द्र कुमार से जिले में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पंजीकृत परिवारों एवं राशन कार्ड की संख्या की जानकारी लेते हुए नियमित रूप से राशन वितरण करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों एवं गैस कनेक्शन की जानकारी ली। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण आमेटा भी उपस्थित रहे।

त्यौहारी सीजन में संतरागाछी-अजमेर के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन

कोटा, (निसं)। रेल प्रशासन द्वारा त्यौहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लीयर करने के उद्देश्य से सोगरिया होकर गाड़ी सं 08611/08612 संतरागाछी से अजमेर के मध्य स्पेशल ट्रेन को 08-08 ट्रिप चलाने का निर्णय लिया गया है। जिससे यात्रियों को सीजन में भीड़ से राहत मिल सकें। इस स्पेशल गाड़ी में 02 वातानुकूलित एसी थ्री टियर, 12 स्लीपर, 4 सामान्य एवं 2 एसएलआर सहित 20 कोच होगे।

गाड़ी संख्या 08611 संतरागाछी-अजमेर स्पेशल 30 सितम्बर से 18 नवम्बर के बीच संतरागाछी से सोमवार को रात 21.20 बजे रवाना होकर बुधवार को अटरू सुबह 05.05 बजे आगमन, बारां 05.33 बजे आगमन, सोगरिया 07.25 बजे आगमन, बून्दी 08.23 बजे आगमन एवं मांडलगढ़ 09.28 बजे कर दोपहर 15.00 बजे अजमेर पहुँचेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 08612 अजमेर-संतरागाछी 03 अक्टूबर से 21 नवम्बर के बीच अजमेर से गुरूवार रात 23.40 बजे रवाना होकर मांडलगढ़ शुक्रवार सुबह 04.10 बजे आगमन, बून्दी 05.08 बजे आगमन, सोगरिया 05.45 बजे आगमन, बारां 06.58 बजे आगमन एवं अटरू 07.23 बजे आगमन कर शनिवार दोपहर 14.20 बजे संतरागाछी पहुँचेगी।

गाड़ी के हॉल्ट-यह गाड़ी दोनों दिशाओं में संतरागाछी-अजमेर के मध्य खड़गपुर, टाटानगर, चांडिल, मुरी, रांची, लोहरदगा, टोरी, बरवाडीह, डाल्टनगंज, गढ़वारोड़, रेनुकूट, चोपन, सिंगरोली, बरगवां, सरईग्राम, ब्योहारी, खन्ना बंजारी, कटनी मुडवारा, दमोह, सागर, बीना मालखेड़ी, अशोकनगर, गुना, रूठियाई, अटरू, बारां, सोगरिया, बून्दी, मांडलगढ़, चंदेरिया, भीलवाड़ा, बिजैनगर एवं नासिराबाद स्टेशनों पर रुकेगी। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/जनसम्पर्क अधिकारी-कोटा रोहित मालवीय ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं हेतु सीजन में स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाता है। यात्रियों से अनुरोध है कि इस स्पेशल ट्रेन की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशन, एनटीईएस, रेल मदद 139 अथवा ऑनलाइन प्राप्त कर यात्रा करें।

एएसआई सहित दो पुलिस कर्मी लाइन हाजिर

छबड़ा (निसं)। बारां एसपी द्वारा बापचा थाने के एएसआई सहित दो कांस्टेबलों को लाईन हाजिर कर दिया हैं। बापचा थानाधिकारी बुद्धराम जाट ने बताया कि एसपी ने आदेष जारी कर एएसआई भगवानसिंह व कांस्टेबल संदीप व कमलेष खाण्डे को लाईन हाजिर कर दिया हैं। इस पर एएसआई को गुरूवार को बारां लाईन के लिए रिलीव कर दिया गया हैं। एक कांस्टेबल अवकाष पर होने व दूसरा सरकारी कार्य से बाहर होने के चलते अभी रिलीव नही किया हैं। इनके थाने मे उपस्थित होने पर बारां लाईन के रिलीव किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता जगदीश लोधा उनकी बहू का नाम राशन कार्ड में जुडवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी कुलदीप सहरिया के चक्कर काट रहा था। मोबा ल पर बीडीओं सहरिया यहां-वहां होने की जानकारी देता था। जगदीश 30 अगस्त को सुबह जैपला में कुलदीप के घर हस्ताक्षर करवाने गया तो दोनो के बीच कहासुनी हो गई। इस पर कुलदीप ने जगदीश के विरूद्ध बापचा थाने में परिवाद दे दिया। इस पर बापचा थाने के एएसआई भगवानसिंह ने शनिवार को जगदीश लोधा को थाने बुला लिया और पुलिस कर्मी संदीप व कमलेश खांडे ने पट्टे से मारपीट कर उसे बंद कर दिया था।

आज चार घण्टे विद्युत आपूर्ति बन्द रहेगी

रामगंजमंडी (निसं)।सुकेत रोड पर 06 सितम्बर शुक्रवार को निर्माणाधीन सिटी फोरलेन के पास लाइन शिफ्टिंग का कार्य संवेदक द्वारा किया जाएगा।जिस कारण 33केवी लाइन रामगंजमंडी से देवलीखुर्द व रामगंजमंडी 11केवी सिटी फीडर नंबर 3 की विद्युत आपूर्ति सुबह 11 से सायं 3 बजे बंद रहेगी।उक्त जानकारी देते हुए ज्वाला कुमार वर्मा सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम रामगंजमंडी ने बताया कि ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के देवलीखुर्द पॉवर हाऊस से जुडे फीडर जैसे देवलीखुर्द हेमलखेडी हरिपुरा देवली कृषि के साथ साथ आदि जगह विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।

ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

छबड़ा (निसं)। रेलवे स्टेशन के निकट गुगोर फाटक के समीप बुधवार रात्रि को ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई।

घटना की सूचना पर पहुंची बापचा पुलिस ने शव को कब्ज़े में लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के मुंगावली निवासी राजकुमार सांसी बुधवार रात्रि को गुगोर रेलवे फाटक के निकट ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिक्षक दिवस मनाया

झालावाड़ (निसं)। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमीदिया स्कूल में शिक्षकों का सम्मान किया गया। हमीदिया स्कूल के प्रभारी अख्तर अली ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर सर्व पल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माला पहना कर तथा वार्ड पार्षद फारूख अहमद, नफीस शेख, ओम पाठक, असलम खान, अब्दुल सलाम ने सभी उपस्थित शिक्षकों को माला पहना कर सम्मान किया।

'विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का सेतु बनेगा हमारा कार्यकर्ता'

कोटा, (निसं)। भारतीय जनता पार्टी कोटा देहात के कनवास और दीगोद मंडल में गुरुवार को सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। दोनों कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रहे। उन्होंने देवली, कनवास, दीगोद, सीमलिया क्षेत्र में भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत की।

■ भाजपा कोटा देहात के कनवास और दीगोद मंडल में सदस्यता अभियान की शुरुआत

कोटा ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम को मंत्री हीरालाल नागर ने संबोधित किया है।

दीगोद व सीमलिया मण्डल का समारोह कोशलाम फार्म पोलाई कलाँ में सम्पन्न हुआ।

वहीं देवली कनवास मण्डल के सदस्यता अभियान की शुरुआत दूधियाखेड़ी माताजी परिसर में समारोहपूर्वक की गई। समारोह में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर, अभियान संयोजक योगेंद्र नंदवाना अलकू, प्रधान जयवीर सिंह, उप प्रधान ओम अडूसा, जिला सहसंयोजक ओम मेहता, जिला परिषद सदस्य अंजना मीणा, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष धनराज मीणा, पूर्व उपप्रधान नंदकिशोर मालव, पूर्व मण्डल अध्यक्ष कौशल सोनी, पंचायत समिति सदस्य महावीर मेरोठा, दुष्यंत शर्मा उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। साथ ही, देश की सबसे अधिक लोकतांत्रिक पार्टी भी है। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता सदस्यता का केवल एक अंक नहीं, बल्कि जीवंत इकाई है। यह कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की भावना, लोगों की सेवा के संकल्प, अंत्योदय के व्रत और विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत के विजन से जोड़ने की हमारी विचारधारा का वाहक है और कार्यसंस्कृति का पोषक है।

यही कार्यकर्ता सरकार-संगठन के बीच कड़ी का भी काम करते हैं। जो जनता के सुख दुख में भागीदारी करते हैं और जनता को सरकार से जोड़ते हैं। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का सेतु हमारा कार्यकर्त्ता ही बनेगा। उन्होंने कहा कि अधिकतम सदस्यता में कोटा जिले को अव्वल लाना है। मंत्री नागर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि आज से शुरू हो रहे पार्टी के सदस्यता अभियान में कोई भी घर या व्यक्ति छूट न जाए।

उन्होंने कहा कि हमारा सदस्यता अभियान सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी होना चाहिए। हर स्थान, वर्ग, जाति, मत, पंथ के लोगों को पार्टी में समाहित करना है। विश्वास है कि इस बार भी पूर्व के सारे रिकॉर्ड तोड़कर सदस्यता का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इस अवसर पर दुर्गाशंकर गोचर, रामस्वरूप मीणा, बाबूलाल खटाना, अंकित राठौर, रामकिशन नायक, विजयशंकर सैनी, रमेश गोचर, केसरीलाल बंजारा, रामेश्वर सुमन, महावीर गुर्जर, रघुराम मेहता, सत्तू चेची, महावीर मीणा, दीनदयाल बैरवा, गोविंद खटाना, धनराज नागर, रामस्वरूप सुमन, गोपाल गुर्जर, सुरेंद्र नायक, रमेश रघुवंशी, मनोज राठौर, रामकुमार मेघवाल, अवतार बंजारा, महेश सुमन, सोनू गुर्जर, सुरेंद्र नागर, ईश्वर सेन, महावीर गुर्जर, प्रदीप गौतम, योगेश नागर, छोटू लाल सुमन, रामकल्याण, मोहन गोचर, भरत गुर्जर, प्रेम गुर्जर, महेश सुमन, हेमराज सुमन, दुर्गाशंकर सुमन, पवन जैन, राजेश मालव, बद्रीलाल नागर समेत कई लोग उपस्थित रहे।

विधिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा शोभना बरवाल पत्नी स्व. भुवनेश बरवाल के स्वामित्व का एक मकान पैमायशी 1356 वर्गफीट वाके खाण्डेकर बिल्डिंग डडवाड़ा भीमगंजमंडी जिला कोटा में स्थित है। यह कि उक्त मकान का क्रय मेरी पक्षकारा एवं उनके पति द्वारा (1) राजकुमार चौधरी (2) रुचिता चौधरी स्वयं व जर्ये वली माता नाबालिग पुत्री छवि व नाबालिग पुत्र ईशान (3) रीतू सुपरा से जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2020 को किया गया था। यह कि मेरी पक्षकारा के पति के स्वर्गवास के पश्चात स्व. भुवनेश बरवाल के सभी विधिक वारिसान द्वारा उक्त सम्पत्ति का रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 30.08.2024 को मेरी पक्षकारा के पक्ष में कर दिया।

यह कि उक्त सम्पत्ति को मेरी पक्षकारा द्वारा एयू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक में रहन रख कर ऋण लिया जा रहा है। इस ऋण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था या अन्य किसी आमजन को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे अन्यथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

दिनांक: 03.09.2024

अजय शर्मा एडवोकेट
पता-मकान नं. 1031, 1032, सुभाष नगर द्वितीय, कोटा (राज.)
मो. 7073030526, 8239229798

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम नरेश कुमार से बदलकर नया नाम नरेश कुमार लखवानी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-नरेश कुमार लखवानी पुत्र हीरालाल मकान नं. 7 प्रताप नगर प्रथम विस्तार देवली अरब रोड बोरखेड़ा कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम HITENDRA SINGH TANWAR से बदलकर नया नाम HITENDEA SINGH TANWAR रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-HITENDEA SINGH TANWAR S/O KHEM SINGH TANWAR HOUSE NO. 2 RAJENDRA VIHAR SECTOR-A NEW AKASHWANI COLONY KOTA

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम MOHAMMED AKHLAQ से बदलकर नया नाम MOHD AKHLAKH रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-MOHD AKHLAKH पुत्र ABDUL LATIF बागर के खूंठ के पीछे बाबा चबूतरे के पास भिस्तीपाड़ा श्रीपुरा कोटा (राज.)

In The Court of Civil Judge Class-II Susner District Agar Malwa

Presiding Officer : सुश्री वंशिता गुप्ता
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS A/0000061/2023)

महेश ..... वादी
Vs
परमानंद ..... प्रतिवादी
Process Id- /2024
पेशी दिनांक : 07/10/2024

प्रेषिती- (1) राहुल पिता महेन्द्र ब्राह्मण पता- ताउजी के मंदिर के पास, कापरेन, जिला बूंदी, राजस्थान (2) महिन्द्रा कुमारी पति प्रेमशंकर जी श्रीमाली पता- गांव बडगांव, उदयपुर जिला उदयपुर, राजस्थान (3) नेहा व्यास पिता महेन्द्र व्यास पता- ताउजी के मंदिर के पास, कापरेन, जिला बूंदी, राजस्थान (4) मनोरमा बाई पति महेन्द्र व्यास पता- ताउजी के मंदिर के पास, कापरेन, जिला बूंदी, राजस्थान (5) हर्षता पिता महेन्द्र व्यास पता- ताउजी के मंदिर के पास, कापरेन, जिला बूंदी, राजस्थान

यह कि प्रार्थी महेश ने आपके विरुद्ध वाद स्वत्व घोषणार्थ मय पारिणामिक सहायता बाबत जारी करने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 05 सितम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा
सुश्री वंशिता गुप्ता
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सुसनेर
जिला-आगर-मालवा (म.प्र.)

यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिय जायेगा।

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण, कोटा, राजस्थान

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल, कोटा

क्रमांक : ननिको-द./उपायुक्त जोन द्वितीय/भ.नि.अनु./2023/9287-88 दिनांक : 02.09.2024

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुधीर कुमार चतुर्वेदी पुत्र स्व. श्री प्रभूलाल चतुर्वेदी निवासी आवास संख्या 340, महावीर नगर द्वितीय, कोटा दक्षिण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 340 महावीर नगर द्वितीय, कोटा का कुल क्षेत्रफल 1792 वर्ग फुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। आवास संख्या 340 महावीर नगर द्वितीय, कोटा क्षेत्रफल 1495 वर्गफुट का आवंटन नगर विकास न्यास, कोटा के क्रमांक एफ(1396) आवंटन/न.विन्या./76 दिनांक 09.06.1976 एवं स्ट्रीप ऑफ लेण्ड का आवंटन क्रमांक 772 दिनांक 08.07.1992 क्षेत्रफल 297 वर्गफुट से श्री प्रभूलाल चतुर्वेदी पुत्र श्री मदन लाल निवासी : म.न. 17/95 ब्रजराजपुरा, कोटा को आंवटित किया गया है। श्री प्रभूलाल चतुर्वेदी पुत्र श्री मदन लाल की मृत्यु दिनांक 27.04.2024 को हो जाने के उपरान्त आवेदक द्वारा श्री प्रभूलाल चतुर्वेदी द्वारा आलेखित रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 20.08.2008 के आधार पर स्वयं के पक्ष में नामातरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 340 महावीर नगर द्वितीय क्षेत्रफल 1792 वर्गफुट का आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। वाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त, नगर निगम कोटा, दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/9524 दिनांक: 04.09.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती चन्द्रकांति पत्नी श्री गणेश लाल निवासी-151 LIGH दादाबाड़ी विस्तार (प्रताप नगर) कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 151 LIGH दादाबाड़ी विस्तार (प्रताप नगर) कोटा क्षेत्रफल 2829 वर्गफुट का कार्यालय नगर विकास न्यास आवासीय कोटा के क्रमांक : रिकवरी/85-86/62 दिनांक 16.05.1985 से श्री गणेश लाल सरोंजा पुत्र श्री देवी लाल को नीलाम किया गया। श्री गणेश लाल सरोंजा पुत्र श्री देवी लाल की मृत्यु दिनांक 19.12.2014 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिसान द्वारा पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 28.12.2015, 23.11.2015 से श्री योगेश कुमार मेवाडा एवं अखिलेश मेवाडा एवं श्रीमती सविता सिंघवा एवं श्रीमती तरुणा पिसरान स्व. श्री गणेश लाल ने अपना हक श्रीमती चन्द्रकांति पत्नी श्री गणेश लाल के पक्ष में हकत्याग दिया है। श्रीमती चन्द्रकांति पत्नी श्री गणेश लाल के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3337 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 5.9.24

आवास संख्या 10/89 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह द्वारा दिनांक 09.02.2005 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह द्वारा इस आवास से सम्बन्धित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 04.01.2010 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्रीमती ममता नागर पत्नी श्री निर्मल कुमार नागर को अपना मुख्तारआम नियुक्त किया गया। श्रीमती ममता नागर पत्नी श्री निर्मल कुमार नागर मुख्तारआम श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह द्वारा मुख्तारआम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 24.07.2024 को श्री चंद्र मोहन शर्मा पुत्र श्री बसंतीलाल शर्मा को किया गया। श्री चंद्र मोहन शर्मा पुत्र श्री बसंतीलाल शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/89 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री चंद्र मोहन शर्मा पुत्र श्री बसंतीलाल शर्मा का नाम दर्ज करनें में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री चंद्र मोहन शर्मा पुत्र श्री बसंतीलाल शर्मा का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री चंद्र मोहन शर्मा पुत्र श्री बसंतीलाल शर्मा का नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

दी ओरिएंटल इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड

आईआरडीए पंजीकृत सं. 556, सीआइएन: U66010DL1947GO1007158
क्षेत्रीय कार्यालय, नवाँ एवं दसवाँ तल, बीमा भवन, एनबीसीसी सेंटर, सहकार मार्ग, जयपुर-302015

सूचना

सभी पॉलिसी धारको/हितधारको और आम जनता को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अंतर्गत आने वाले निम्न कार्यालय/कार्यालयों का पुनर्गठन किया जा रहा है और आईआरडीए विनिमय(व्यवसाय विनिमय का स्थान, 2015)के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 2 महीने बाद कार्यालय नहीं होगा ।पॉलिसी/दावा या किसी अन्य सेवा के संबंध में सेवाएँ तालिका में उल्लेखित कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएंगी:-

कार्यालय का नाम, जो कि गैर कार्यात्मक होना है	कार्यालय जिसके द्वारा सेवा प्रदान की जाएंगी	संपर्क नंबर एवं ई मेल आईडी एवं कार्यालय का पता
बिजनस ऑफिस, ऐरोड्रोम सर्कल, 402, शॉपिंग सेन्टर, कोटा-324007 कार्यालय कोड 242606	बिजनस आफिस कोटरी सर्कल, कोटा ऑफिस कोड 242600	फोन नं. 0744-2391722 मोबाईल नं. 9352793809 kamal.arora@orientalinsurance.co.in प्रथम तल, वंडर व्यू बिल्डिंग, सेवन वंडर गेट के सामने, कोटरी सर्कल, को